**आदेश 47 नियम 1 CPC के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र**

**(Application under order 47 Rule 1 CPC)**

न्यायालय..........

वाद नंबर ............ सन् ..........

अ०ब० स० ............. वादी

**बनाम**

स०द० फ० ............ प्रतिवादी

श्रीमान जी

प्राथीं/वादी निम्न प्रकार सविनय निवेदन करता है:

(1) यह कि वादी के वाद सं० ............ सन् ............ शीर्षक श्री ...... बनाम श्री ...... में मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक ............ को निर्णायक आज्ञाप्ति/आदेश पारित किया गया था जिसके विरुद्ध वादी के द्वारा कोई अपील योजित नहीं की गई है। कोई अपील पोषणीय नहीं है।

(2) यह कि प्रार्थी वादी उक्त आज्ञाप्ति/आदेश का भान्य न्यायालय से निम्न आधार आधारों पर पुनर्विलोकन करना चाहता है।

1. वादी को ऐसी नई व महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का अब पता चला है जिसका वादी को आदेश/आज्ञाप्ति पारित होने के समय सम्यक तत्परता के बावजूद ज्ञान नहीं हो सका था और वादी उसे प्रस्तुत करने में अस्मर्थ रहा। (नई बात या साक्ष्य का विवरण दे।

**अथवा**

(ख) निर्णय आज्ञाप्ति अथवा आदेश के अभिलेख के देखने मात्र से स्पष्ट भूल या त्रुटि निर्णय/आज्ञाप्ति अथवा आदेश में प्रकट होती है। स्पष्ट भूल या त्रुटि का संक्षिप्त विवरण दे।

**अथवा/ और**

(ग) मान्य न्यायालय ने विधि अथवा तध्यो के भ्रम में निर्णय आज्ञाप्ति अथवा आदेश पारित किया है । वास्तविक विधि व तथ्यों पर विचार करके आदेश पारित नहीं किया है[विधि के भ्रम अथवा तथ्यों के भ्रम का आवश्यक विवरण दें।

**अथवा/और**

(घ) मान्य न्यायालय का निर्णय/आज्ञाप्ति/आदेश इस सिद्धान्त के विरुद्ध है कि न्यायालय की जाट स किसी पक्ष को कष्ट नहीं होना चाहिए-आदेश/निर्णय आज्ञाप्ति में आई भल/वटि से प्रार्थी वादा के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उसके साथ अन्याय हुआ है।

[अन्याय व त्रुाटे के सम्बन्ध में तथ्य वर्णित करें]

अत: प्रार्थना है कि वाद सं० ............ सन्........बनाम ............. में पारित निर्णय/आदेश दिनांक ............ का पुनर्विलोकन करके निर्णय/आदेश पारित करने की कृपा करे।

**स्थान ............ दिनाँक ........**

**...... प्रार्थी/वादी**

**.......द्वारा अभिवक्ता**

**नोट** : शपथपत्र संलग्न करें।